संoसंo–16 / सी.1–69 / 2018– 1238 (आ.नि.)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

राय अमर नाथ सहाय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार, (लेo एवं हo),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक –07.8.2026

विषय :– राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दिनांक–10.01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक का 01 (एक) पद एवं दिनांक 22.03.2011 से 30.06.2020 तक प्राध्यापक का 01 (एक) पद अर्थात् कुल 02 (दो) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन के संबंध में।

महाशय,

डॉ0 सम्पूर्णा नन्द तिवारी, तत्कालीन व्याख्याता, द्रव्यगुण विभाग, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय द्वारा दिनांक–21.09.2010 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रवाचक एवं प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-2688/2011 सम्पूर्णा नन्द तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–08.09.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"..........The respondents, particularly, the Principal Secretary, Health Department, Government of Bihar, is accordingly directed to ensure that the petitioner's case is considered afresh for the purpose of his promotion to the post of Reader, considering his date of eligibility for the said post as on 21.09.2010.

The entire exercise, right from consideration of petitioner's case, in the light of the present order, till taking of a final decision, must be completed within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order."

2. उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध वादी डॉo सम्पूर्णा नन्द तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A. No-1457 / 2018 सम्पूर्णा नन्द तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें डॉo तिवारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिनांक–10.01.1990 से प्रवाचक तथा दिनांक–10.01.1995 से प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति की माँग की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.09.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

Scanned with CamScanner

".....We therefore allow this appeal to the aforesaid extent and modify the impugned judgment of the learned Single Judge with a direction to the respondent-State Government to accordingly extend such benefits to which the petitioner may be entitled together with consequential benefits as directed by the learned Single Judge vide his judgment dated 08.09.2016 subject to the modification hereinabove. The respondent shall pass an appropriate order in this regard within six weeks from today. The appeal is accordingly allowed."

3. उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में S.L.P. No- 22758/2020 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सम्पूर्णा नन्द तिवारी दायर किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–12.02.2021 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

".....We see no reasons to interfere with the impugned judgment passed by the High court. The special Leave Petition is dismissed on the ground of delay and on merits. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में दिनांक–10.06.2021 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–599 (आ०चि०), दिनांक–30.06.2021 द्वारा डॉ० सम्पूर्णा नन्द तिवारी, प्रवाचक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना को दिनांक–10.01.1990 से प्रवाचक (वेतनमान 3000–4500) एवं दिनांक–10.01.1995 से प्राध्यापक (वेतनमान 3700–5000) के पद पर प्रोन्नति, आर्थिक लाभ सहित प्रदान की गयी है एवं यदि आरक्षण विषय पर न्यायिक वाद में कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो डॉ० तिवारी को दी जाने वाली प्रोन्नति भी तदनुसार प्रभावित होगी।

5. उल्लेखनीय है कि डॉ० तिवारी को जिस तिथि में प्रवाचक एवं प्राध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गई, उक्त तिथि में पद रिक्त नहीं था अर्थात दिनांक–10.01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक का एवं दिनांक–22.03.2011 से 30.06.2020 तक प्राध्यापक का पद रिक्त नहीं था। ऐसी स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई हेतु वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि ऐसी स्थिति में पद रिक्त नहीं रहने की अवधि के लिए एक (Supernumerary Post) सृजित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दिनांक–10.01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक का 01 (एक) पद एवं दिनांक–22.03.2011 से 30.06.2020 तक प्राध्यापक का 01 (एक) पद अर्थात् कुल 02 (दो) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की दिनांक–02.02.2026 की बैठक की कार्यवाही की क्रम संख्या–10 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.08.2026 में मद संख्या–11 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

7. उपर्युक्त के आलोक में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दिनांक–10.01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक का 01 (एक) पद एवं दिनांक–

Scanned with CamScanner

22.03.2011 से 30.06.2020 तक प्राध्यापक का 01 (एक) पद अर्थात् कुल 02 (दो) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राय अमर नाथ सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner